बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

संदर्भ क्र. **Ref. No.:** HO:IRC:SM:2022-23:111

दिनांक **Date:** 20.06.2022

Scrip Code: BANKINDIA	**Scrip Code : 532149**
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Dear Sir / Madam,

Reg: 26th Annual General Meeting – 15th July 2022

We advise that, Bank is convening 26th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of our Bank as per details given below:

1	Date / Time	Friday, 15th July 2022 at 12.00 P.M.
2	Mode	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OVAVM)
3	Record Date	8th July 2022 – To attend the AGM and vote through remote E-Voting / Voting at the AGM and for payment of Dividend
4	Book Closure	From 9th July 2022 to 15th July 2022 (both days inclusive)
5	Remote E-Voting	From 9.00 A.M. on 11th July 2022 to 5.00 P.M. on 14th July 2022

We attach copy of the Notice of the 26th Annual General Meeting of the Bank for placing on the website of the Exchanges. The same is available on the website of the Bank at www.bankofindia.co.in.

We request you to take notice under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

भवदीय Yours faithfully,

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र. का. H.O. निवेशक संबंध विभाग Investor Relations Dept.

(Rajesh V Upadhya)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: As above.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की छब्बीसवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 15 जुलाई, 2022 को दोपहर 12.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वी. सी.") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से (बैठक का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय माना जाए), निम्नलिखित कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

1. 31 मार्च, 2022 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखे पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।

2. वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु 2.00 (20%) के दर से लाभांश की घोषणा करना।

विशेष कारोबार :

3. नई इक्विटी पूंजी जारी करने हेतु अनुमोदन

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो, उसे पारित करना :

"**संकल्प पारित** किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कुछ हों, और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमनों यथा सेबी (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018, यथा संशोधित (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से "सेबी विनियमन" कहा जायेगा), विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर ऋण-लिखित) नियम, 2019 तथा आरबीआई, सेबी द्वारा लागू नियमों, विनियमों, निर्धारित दिशानिर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय- समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Friday, July 15, 2022 at 12.00 noon through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (the deemed venue of the Meeting will be the Head Office of the Bank) to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the year 2021-22 @ ₹2.00 (20%) per equity share.

SPECIAL BUSINESS:

3. Approval to issue Fresh Equity Capital

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as "SEBI Regulations"), the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called

द्वारा बैंक के "निदेशक बोर्ड" (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को एतद्द्वारा सहमति दी जाती है कि वे भारत में या भारत के बाहर ऑफर दस्तोवज /प्लेसमेंट दस्तावेजों/प्रोस्पोक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज(जों) के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखलाओं में (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमत ऐसे निर्गम या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आबंटन हेतु प्रावधान सहित) निम्नलिखित को सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करें -

(क) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के रु. 2500 करोड़ (केवल रुपये दो हजार पाँच सौ करोड़) की राशि तक के नये इक्विटी शेयर, जहां नए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के साथ वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, बैंक के रु. 6000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी या इसमें किसी राशि की बढ़ोतरी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, या अन्य कोई राशि जो भारत सरकार तथा/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर;

एक या अधिक श्रृंखलाओं में इस विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु यह एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसायटी, ट्रस्ट, शोध संस्थाओं, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यू.आई.बी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल फंडों, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य निकायों, प्राधिकरणों या किसी अन्य वर्ग के निवेशकों जो वर्तमान विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र हैं, उन सब के लिए या इनके किसी संयोजन (कॉम्बिनेशन) के लिए है तथा बैंक द्वारा यथा उचित समझा जाए, उन्हें दिया जा सकता है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम (इश्यू), प्रस्ताव या आबंटन अर्हित संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम (इश्यू), साधिकार निर्गम (इश्यू), प्राइवेट नियोजन या निर्गम (इश्यू) की ऐसी अन्य विधि के माध्यम से किया जाएगा जो कि अधिक आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना लागू नियमों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है और यह कि प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव, निर्गम(इश्यू), नियोजन एवं आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों तथा आरबीआई, सेबी एवं अन्य कोई प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और उस समय या उन समयों पर एवं ऐसे विधि से एवं ऐसे नियम एवं शर्तों पर जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार, उसे उचित समझता है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजों के साथ वहां सूचीबद्ध किए जाएंगे जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में, बोर्ड को आईसीडीआर विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, इस तरीके से और जहां कहीं आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से निर्धारित ऐसे मूल्य या उस मूल्य से नीचे के मूल्यों को नियत करने का पूर्ण प्राधिकार होगा और/या ऐसे नियम एवं शर्तें जिसे बोर्ड आईसीडीआर विनियम, अन्य विनियमों एवं कोई एक तथा लागू अन्य सभी कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने पूर्ण विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है और/या चाहे

"the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / placement document /prospectus or such other document (s), in India or abroad

(a) Fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium upto an amount of Rs. 2,500 Crore (Rs. Two Thousand Five Hundred Crore only), where the fresh Paid up Equity Share capital together with the existing Paid-up Equity share capital within the total authorized capital of Rs.6,000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or any amount prescribed by the Government of India and / or the Reserve Bank of India in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;

during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of Securities shall be by way of qualified institutions placement (QIP), public issue, rights issue, private placement, preferential issue or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or

वह/वे प्रस्तावित निवेशक, बैंक के वर्तमान हितधारक हों अथवा नहीं।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हित संस्थागत नियोजन के मामले में,

क) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में दिए गए आशय के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हित संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से चुकता किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन अथवा ऐसा अन्य कोई समय जिसकी समय-समय पर जारी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, के भीतर पूर्ण किया जाएगा।"

ख) आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के अनुसार, बैंक शेयरों पर न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के पाँच प्रतिशत तक की छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के निर्धारण की उपयुक्त तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी।""

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा जहां जारी की जाने वाली कर्ज प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफपीआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू) एवं आबंटन, यदि कोई हो, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन होगा, जैसा लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य विनियामकों द्वारा यथा निर्धारित संपूर्ण सीमाओं के भीतर ही होगा।'"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर्स, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 यथा संशोधित के अध्यधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर्स के साथ, लाभांश सहित, यदि कोई हो, के साथ-साथ सभी मामलों में समरूप होंगे।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी भी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(हामीदारों), निक्षेपागार(निक्षेपागारों) के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाएं निष्पादित करे तथा उसमें शामिल हो। उसे इस बात के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी एजेंसियां जो उक्त प्रतिभूतियों की ऑफरिंग में शामिल या संबद्ध हैं, उन सभी ऐसी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या इनके जैसे माध्यम से पारिश्रमिक दे तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि में शामिल हो एवं निष्पादित करे।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम(इश्यू) के प्रारूप एवं शर्तों को निर्धारित करे जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है जिनके लिए उपर्युक्त प्रतिभूतियों को आबंटित किया जाना है, प्रत्येक भाग में आबंटित करने की उनकी संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, इश्यू संबंधी प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का रूपान्तरण/एक्सर्साइज ऑफ वारंटस/प्रतिभूतियों का मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी/प्रिफरेंश शेयरों की संख्या या रूपान्तरित अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों का मोचन या निस्तारीकरण, प्रतिभूतियों के इश्यू/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपान्तरण अवधि, अभिलेख तिथि या बही बंदी का निर्धारण और

not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time."

b) the Bank is pursuant to Regulation 176 (1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price in case of QIP Issue.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/ number of equity shares, the price, premium or discount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or

उससे संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और/या जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से सही पाता है, शामिल हैं।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त ऐसी सभी प्रतिभूतियां जिन पर सहमति नहीं दी गयी है, उन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस प्रकार से बेचा जा सकता है जैसे बोर्ड उसे सही समझता है और जिसकी अनुमति कानून देता है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा, अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) अथवा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक निदेशकों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।"

नोट्स :-

1. कोविड-19 महामारी के जारी रहने के आलोक में, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") ने समय समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, जिसमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई 2022 (समेकित रूप से "एमसीए परिपत्र") द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी 26वीं एजीएम आयोजित कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए एजीएम और अटेंडेंट एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

2. लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3. संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भी भेजी जाएगी।

more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

Notes:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide various Circulars issued from time to time, latest being General Circular No. 2/2022 dated 05th May 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted companies who are proposing to organise the AGMs in 2022 for the Financial Year ended 31.03.2022 to hold Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) till 31st December, 2022. In line with the MCA Circulars, the Bank is conducting its 26th AGM through VC / OAVM. The Bank has appointed CDSL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/ OAVM.

2. Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

3. Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग), विनियमन के विनियम 12 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के लागू विनियम के अनुसार, शेयरधारकों के रजिस्टर को शनिवार, 09 जुलाई, 2022 से शुक्रवार, 15 जुलाई, 2022 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।

5. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

6. "ग्रीन इनिशिएटिव" का समर्थन करने के लिए, ऐसे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और यदि वे शेयरों के भौतिक धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल डीपी में पंजीकृत करें।

7. यदि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, डाक का पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, बैंक का विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक की खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएसई कोड आदि में कोई भी बदलाव हो तो अपने डीपी में तथा यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो बैंक के आरटीए में सूचित करें।

8. संयुक्त शेयरधारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज़ है, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

9. जो शेयरधारक खाते या वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 08 जुलाई, 2022 को या उससे पहले बैंक को headoffice.share@bankofindia.co.in पर तत्संबंधी ई-मेल भेजें। एजीएम में बैंक द्वारा उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना बाध्य है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

11. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके

and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Shareholders will be closed from Saturday, July 09, 2022 till Friday, July 15, 2022 (both days inclusive) for AGM.

5. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard. Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on Bank's website www.bankofindia.co.in.

6. To support the `Green Initiative', Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with Bank's RTA in case the shares are held by them in physical form.

7. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to Bank"s RTA in case the shares are held by them in physical form.

8. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

9. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before July 08, 2022 through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM.

10. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect to such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website http:www.bankofindia.co.in.

11. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 13, 2022, Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose

ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयरधारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट https.www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

12. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

13. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अत: इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।

14. ई-वोटिंग

बैंक को प्रसन्नता है कि वह नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा शुक्रवार, 08 जुलाई, 2022 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

15. ई-वोटिंग अनुदेश

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम

1. जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, कम्पनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी तथा इसके आगे का स्पष्टीकरण सामान्य परिपत्र सं. 2/6/2020-ण्ट-ट दिनांक 05 मई 2022 के माध्यम से दिया गया है। अत: आगामी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी। अतएव, सदस्य आगामी एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं तथा सहभागिता कर सकते हैं।

2. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा सेबी के विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 (यथा संशोधित) तथा उपर्युक्त उल्लिखित एमसीए परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु कम्पनी ने प्राधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। एजीएम की तारीख को किसी सदस्य द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली या रिमोट ई-वोटिंग का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

3. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक आरंभ

email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the Notice and Annual Report 2021-22 will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of CDSL https:www.cdslindia.com.

12. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

13. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

14. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, July 08, 2022 being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

15. E-VOTING INSTRUCTIONS

CDSL e-Voting System – For Remote e-voting and e-voting during AGM

1. As you are aware, in view of the continuing COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies may be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated May 5, 2020 and further clarification vide General circular No. 2/6/2020-CL-V dated 05h May 2022. The forthcoming AGM will thus be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

3. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility

होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आने वाले कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधन कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं प्रारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें पहले आने की बाध्यता के बिना ही एजीएम में उपस्थित होने की अनुमति है।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, सदस्यों के लिए इस एजीएम में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 तथा धारा 113 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम द्वारा इस एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं।

6. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप एजीएम आयोजित करने संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह एजीएम नोटिस सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं :

(i) मतदान की अवधि 11 जुलाई, 2022, सोमवार प्रात: 09.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 14 जुलाई, 2022 गुरुवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, जो शेयरधारक भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों को धारण करते है, वे 08 जुलाई, 2022, शुक्रवार की कट-ऑफ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलैक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है वे बैठक स्थल पर मतदान हेतु हकदार नहीं होंगे।

(iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ /सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ

of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Bank's (Shares and Meeting) Regulations, 2007.

5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofindia.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDRES FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The voting period begins on 09.00 a.m. on Monday, July 11, 2022 and ends on 5.00 p.m. on Thursday, July 14, 2022. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Friday, July 08, 2022 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

(iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update

हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजटरीज एंड डिपॉजटरी पार्टीसिपेंट्स में है, के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अद्यतन करें।

उक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुडने के लिए लॉग-इन प्रकिया निम्नलिखित है :

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रकिया
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक	1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयोगकर्ताओं का Easi / Easiest में लॉग-इन करने हेतु यूआरएल है https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi का चयन करें। 2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगें। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुडने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके। 3) यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। 4) इसके अलावा, यूज़र www.cdslindia.com पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूज़र ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।

their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above said SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेबब्राऊज़र खोलें। ई-सर्विसेज का होम पेज लॉन्च होने पर, "लॉगइन" के अंतर्गत "Beneficial Owner" पर क्लिक करें जो 'IDeAs' खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। 2. यदि यूज़र IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.isp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल httpd://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेबब्राअज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, 'शेयराहोल्डर्स/मेम्बर्स" खंड में उपलब्ध 'लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूज़र आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पंहुच जाएंगे।
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद दुबारा एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेक्स का विवरण
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों के लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या 022-23058738 तथा 022-23058542-43 पर सम्पर्क करें।
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में कोई समस्या हो रही है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नम्बर : 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

(iv) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

2) 'शेयरहोल्डर्स" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

   (ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

   (बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

   (सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

4) डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी पर पहले ई-वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

6) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें:-

	डीमैट रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए व्यक्तिगत और भौतिक रूप के अलावा
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक *पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि कंपनी /आरटीए द्वारा भेजी गई क्रमसंख्या का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि डिपॉजिटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड़ में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.comor contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

(iv) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

2) Click on "Shareholders" module.

3) Now enter your User ID

   a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

   b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

   c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form other than individual and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(v) इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें।

(vi) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(vii) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।

(viii) कृपया संगत कंपनी नाम के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिसे आप वोट करना चाहते हैं।

(ix) वोटिंग पृष्ठ पर, आप "RESOLUTION DESCRIPTION" देखेंगे तथा वोटिंग के लिए पुन: वही "YES/NO" विकल्प आएगा। आपकी इच्छानुसार YES या NO विकल्प चुने। YES विकल्प के प्रयोग से आप संकल्प को सहमति प्रकट करते है तथा NO विकल्प के प्रयोग से संकल्प के लिए असहमति प्रकट होती है।

(x) आप "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करते ही संकल्प की पूरा विवरण देख सकते है।

(xi) आप जिस संकल्प पर वोट करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो "OK" क्लिक करें अन्यथा आप वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xii) संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xiii) वोटिंग पेज पर `click here to print' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

(xiv) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें तथा `Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

(xv) गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु सुविधा - रिमोट वोटिंग

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और "Corporates" के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगइन खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।

(v) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vi) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(viii) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.

(ix) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(x) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xi) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xiv) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xv) Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –Remote Voting

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
- गैर-एकल शेयरधारकों को विकल्पत: संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्क्रूटिनाज़र तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् headoffice.share@Bankofindia.co.inपर भेजना अपेक्षित होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा उसे सत्यापन हेतु स्क्रूटिनाज़र के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले और बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही हैं।
2. रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा, वहीं वीसी/ओएवीएम हेतु बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम/ईजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा का उपयोग करने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़कर लैपटॉप या टेबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अत: उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।
7. ऐसे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक हों, वे बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर को (कंपनी की ई-मेल आईडी पर) प्रेषित कर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम में बोलने के इच्छुक नहीं हैं, परन्तु प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर का उल्लेख करते हुए headoffice.share@bankofindia.co.in. अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से इन प्रश्नों का यथोचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है केवल उन्हें ही बैठक के दौरान विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें किसी अन्य प्रकार से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।

- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; headoffice.share@bankofindia.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM/EGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least seven days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at headoffice.share@bankofindia.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance seven days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at headoffice.share@bankofindia.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

10. यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदन को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते/मोबाईल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है:

1. भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या http://www.bigshareonline.com/InvestorRegistrantion.aspx. लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।
2. डीमैट शेयरधारकों हेतु - कृपया संबंधित सहभागी डिपॉजिटरी(डीपी) में अपना ई-मेल पता और मोबाईल नंबर अद्यतन करवाएँ।
3. एकल डीमैट शेयरधारकों हेतु- कृपया संबंधित सहभागी डिपॉजिटरी(डीपी) में अपना ई-मेल पता और मोबाईल नंबर अद्यतन करवाएँ, यह ई-वोटिंग करने और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए अनिवार्य है।

\- एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएल ई वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल भेज सकते हैं या 022-23058738 या 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल प्रेषित करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

अन्य अनुदेश

1. स्क्रूटिनाइजर, एजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।
2. स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https:www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।

शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना

सेबी ने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) द्वारा निवेशक की सेवा के अनुरोध को प्रॉसेस करने हेतु आम और सरलीकृत मानदंडों एवं पैन केवाईसी बैंक ब्योरें प्रस्तुत करने एवं नामांकन, बिना वैध पैन, केवाईसी के फोलियों फ्रीज़ करने; भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा आधार एवं पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करने एवं अन्य बातों के लिए परिपत्र

10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/ MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE COMPANY/ DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to RTA by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.
2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Other Instructions

1. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, make a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.
2. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL https: www.evotingindia.com immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION BY SHAREHOLDERS

SEBI has issued Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated 14th December 2021 for Common and Simplified Norms for processing investor's service request by Registrar and Transfer Agents (RTAs) and

सं.सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी~आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी~आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर 2021 जारी किया है.

बैंक ने बैंक की भौतिक प्रतिभूतियाँ रखने वाले सभी शेयरधारकों को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा है, जिसमें उनसे अपने फोलियो फ्रीज़ होने से बचने के लिए पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। केवाईसी और नामांकन के लिए निर्धारित प्रारूप एवं पत्र की नमूना प्रति बैंक की वेबसाइट पर https://www.bankofindia.co.in/Formats_for_holders के तहत उपलब्ध है।

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना

फोलियो जिसमें उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक/ विवरण 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं हैं, को उक्त सेबी परिपत्रों के संदर्भ में बैंक के आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड / बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज़ किए हुए फोलियो को बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और / या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकरण को भेजा जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक लगातार फ्रीज़ रहते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3

बैंक में वर्तमान सार्वजनिक शेयरधारिता 18.59३ है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बैंक को इसे 25% या उससे अधिक तक बढ़ाना होगा। इसलिए, बैंक सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए नई इक्विटी पूंजी जारी करने का प्रस्ताव करता है

भारत में बासेल III पूँजीगत आवश्यकताओं के कार्यनिष्पादन संबंधी दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से स्तरीय तरीके से प्रभावी हो गया है। उक्त दिशानिर्देश 01 अक्टूबर, 2022 को पूर्ण रूप से चरणबद्ध हो जाएंगे। 31 मार्च, 2022 को बैंक का समग्र पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 14.02% की सीईटी -1 पूँजी के साथ 17.04% रहा (विनियामकीय अपेक्षा 11.50% है)। जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की वृद्धि की धारणा और लाभ के पुन: निवेश के आधार पर बैंक का वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त पूँजी जुटाने की योजना है ताकि सीईटी 1 पूंजी के पर्याप्त बफर को बनाए रखने की दृष्टि से परिसंपत्तियों में प्रत्याशित वृद्धि का मिलान किया जा सके। बैंक पिछले कई सालों से बहुत कर्मठतापूर्वक और सावधानी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए बैंक को लगातार पूंजी की आवश्यकता है। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए बैंक, अद्यतन तारीख तक यथासंशोधित सेबी (पूंजी इश्यू एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 एवं इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी)/पब्लिक इश्यू राइट इश्यू, फॉलों ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/इक्विटी शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट/इक्विटी शेयर को अधिमानी

norms for furnishing PAN, KYC, Bank details and Nomination, freezing of folios without valid PAN, KYC details; compulsory linking of PAN and Aadhar by Shareholders holding shares in physical forms, among others.

Bank has sent an individual letter to all shareholders holding physical securities of the Bank requesting them to furnish PAN, KYC, Bank details and Nomination to avoid freezing of their folios. Specimen copy of letter and prescribed formats for KYC and Nomination is available on Bank's website at https://www.bankofindia.co.in/Formats_for_holders.

Freezing of folios without PAN, KYC details and Nomination

Folios wherein any one of the above mentioned documents / details are not available on or after 1st April 2023, shall be frozen by Bank's RTA Bigshare Services Pvt. Ltd., / Bank of India in terms of the said SEBI Circulars. The frozen folios will be referred to the administering authority under the Benami Transactions (Pohibitions) Act, 1988 and / or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December 2025.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

The present public shareholding in the Bank is 18.59% and the Bank has to increase this to 25% or above in order to comply with the minimum public shareholding requirements as per the Security Contracts (Regulation) Rules, 1957 and SEBI (LODR) Regulations, 2015. Hence, Bank proposes to issue fresh equity capital to increase the public shareholding to 25% or above.

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April 2013 in a phased manner. The guidelines will be fully phased in as on 1st October 2022. The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 31st March 2022 stood at 17.04% (regulatory requirement 11.50%) with CET-1 Capital being 14.02%. Based on the assumption of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank plans to raise additional Capital during FY 2022-23 to match the anticipated growth in assets with a view to maintain sufficient buffer of CET 1 capital. The Bank has been growing very diligently and cautiously for the last many years and there is constant requirement of capital. In order to meet this growing requirement and also to increase the public shareholding to 25% or above the Bank proposes to raise capital by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /public issue, rights issue, Follow on public offer (FPO)/ private placement / preferential issue of equity shares or such other modes of issue, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

जारी करना या ऐसे किसी अन्य इश्यू के माध्यम से निजी संस्थान द्वारा पूंजी जुटाना प्रस्तावित करता है।

वर्तमान संकल्प भी प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल इक्विटी शेयर को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य नियमों पर जारी कर सकें।

विशेष संकल्प के अनुरुप इक्विटि शेयर का प्रस्तावित इश्यू सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशक इस सूचना की मद संख्या 3 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते है।

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कुछ रुचि या हित नहीं रखते है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुबंई,

दिनांक : 18 जून, 2022

(अतनु कुमार दास)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

The proposed resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in Item 3 of the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors,

Place: Mumbai

Date: June 18, 2022

A.K. Das

Managing Director & CEO